

16.55 hrs.

PUBLIC WAKFS (EXTENSION OF LIMITATION) (DELHI AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI A. A. RAHIM): Mr. Chairman, Sir, A large-scale unauthorised occupation of wakf properties took place immediately after the partition of the country. If the properties were in the adverse possession for 12 years or more, it would have been difficult to save the title of true owners from being extinguished. With this in view, the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act, 1959, was enacted to extend the limitation up to 15th August, 1967. This date indicated the period of limitation in respect of suits for the recovery of any immovable property forming part of a Public Wakf, where the dis-possession had taken place any time after 15th August, 1947 and before 7th May, 1954 (the date from which the power to declare any property as evacuee property ceased). The State Wakf Boards were thus given the necessary powers to institute suits for recovery of the wakf properties.

The survey of wakf properties was still in progress in a number of States and the period of limitation was extended twice by the Government once in 1967 and again in 1969, extending the date up to 31-12-1970. Thereafter, depending upon the circumstances, the Wakf Boards were advised to approach their State Governments for carrying out local amendments to the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act, 1959.

In so far as the Union Territory of Delhi is concerned, the limitation was extended once in 1974 up to 31-12-1976 and again in 1978 up to 31-12-1980.

As the survey of wakfs in the Union Territory of Delhi is still in progress and the Delhi Wakf Board is not in a position to institute legal proceedings in a number of cases, the Delhi Wakf Board, has approached the Delhi Administration, for further extension of period of limitation

up to 31-12-1985. Such extensions have already been in existence in Andhra Pradesh, Bihar, Karnataka, Punjab and Tamilnadu. It is in the process of being extended in Haryana, Kerala, Madhya Pradesh and Orissa also.

In view of the genuine difficulty of Delhi Wakf Board, the Bill for extension of period of limitation has become necessary.

I now move that the Bill be taken for consideration of the House.

I beg to move:

"That the Bill further to amend the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act, 1959, as in force in the Union territory of Delhi, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN: Motion moved.

"That the Bill further to amend the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act, 1959, as in force in the Union Territory of Delhi, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Shri Abdul Samad to speak.

SHRI ABDUL SAMAD (Vellore): I rise to support this Bill for the Public Wakfs (Extension of Limitation) (Delhi Amendment) Bill, 1982.

Properties worth several crores of rupees belonging to the various Wakfs are usurped by certain interested parties and almost every day this sort of misappropriation is going on in this country. It is a heinous crime committed not only against the law of our land but also the law of God.

Wakfs are created by righteous people for specific purposes of charity. But, unfortunately in most of the cases, these sacred trusts are mismanaged and the income out of them is misused.

If these properties are properly managed and the income accrued out of it is spent according to the wishes of the original Wakfs, most of the problems of the minority Muslim community could have been solved.

Even after the enactment of Public Wakfs Act of 1959 hundreds of crores of rupees worth of wakf properties are outside the purview of this Act, not only in the Metropolitan city of Madras, but also throughout the country. Hence I extend my solid support to this Bill.

But, merely passing the Bill would not help in solving the problems of bringing the properties of wakfs under the purview of the said law. There must be a concerted effort on the part of the officials and members of the Board. Wide publicity must be given about the implication of this Act and the importance of bringing such usurped properties, under the purview of this Act. I would even suggest announcing of offering certain incentives such as cash awards for informing the respective Wakf Boards about the illegal occupants of the Wakf properties and about the people who are in actual possession of such properties.

17.00 hrs.

In many of the States, the respective Governments themselves are the real culprits. Wakf properties worth several crores of rupees and the land which could fetch fabulous prices are given away by certain Governments for constructing cinema-houses and putting up liquor shops and housing apartments to other influential parties much against the wishes of the original waqifs and without paying adequate compensation for the wakfs thus alienated.

Since waqfs are created mainly for religious and charitable purposes, Government should see to it that the properties belonging to such sacred trusts are not given for conducting any anti-religious and anti-social activities. All the cinema-houses and liquor shops in waqf lands should be removed or demolished. There must be specific instruction to the Muthawallis not to give on lease or rental basis any of the waqf properties for the above-said purposes.

Further, Sir, in many of the States, Wakf Boards are not constituted according to the provisions of the State Act. This is the case specially with my State, Tamil Nadu. More than 7,000 waqfs of Tamil Nadu have been entrusted in the

hands of a person who pays no heed to any one of the established traditions of the Muslim community and whose *bona fide* of being a Muslim is also widely discussed in many of the religious seminars; he has been thrust upon the Muslim community as Chairman of the Wakf Board by the ADMK Government. It seems, he has taken a vow not to do any good but to wreak vengeance upon all respected Muthawallis and Jamiaths. A no-confidence motion was moved against this chairman, and nine out of the eleven members voted for the motion. Instead of giving effect to this Resolution, the ADMK Government, which is totally opposed to the Muslim aspirations and sentiments dissolved the Board and asked that discredited person to form the Board stuffed with his own yes-men. After the formation of this Board, a lot of discontent erupted in the entire State and no business of the Board is conducted according to the established norms of procedures. Therefore, I want to avail myself of this opportunity to demand the Government of India to appoint an Inquiry Commission to go into the affairs of the Tamil Nadu Waqf Board under the leadership of the present Chairman. If such a Commission is constituted, more than one thousand people are prepared to file their affidavits.

Sir, in order to check such wrong-doings by any person in any State Waqf Board I want to impress upon the Government to bring forth a comprehensive Waqf Amendment Bill at an early date in this House. Some initiative was taken some time ago by the then Minister of Law, Shri Shiv Shankar, and an assurance was also given that such a Bill would be introduced in this Session. But no explanation has been given for not bringing forth such a legislation so far. I request the hon. Minister to introduce that Bill at least in the next Session.

With these words, I support this Bill.

श्री समीन्द्रवीर (गोड्डा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस वकफ बिल की पूरजोर ताईद करता हूँ। साथ ही साथ इजहार ख्याल के तौर पर चन्द बातें पेश कर देना जरूरी समझता हूँ। सुन्नी वकफ

[श्री समीनद्दीन]

की दो किस्मों हैं, वक्फ दो तरह के होते हैं। एक वक्फ आम और दूसरा वक्फ अलल आलाद। वक्फ आम वह है जो मजहबी कामों के लिए और इवतसादी कामों के लिए उसी फिरके के लिए होना चाहिए जिस फिरके का वह वक्फ है। वक्फ अलल आलाद वह है अगर किसी का बाप अपनी आलाद के लिए वक्फ कर दे तो वह आलाद उसकी पैदावार को, आमदनी को खा सकती है, मगर बेच नहीं सकती। वक्फ जायदाद का फरोस्त करना नाजायज है। मुझे इस बात का अफसोस है कि दिल्ली शहर में 1200 कोसिज ऐसे हैं... और ये कोसिज कब हुए? 1947 के बाद, जब पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का बंटवारा हुआ, तो 1200 वक्फ जायदादों में गड़बड़ी पैदा हुई, और इस गड़बड़ी को पैदा करने के लिए यहां की सरकार की भी शिकायत है। मौलाना हबीब-जुलरहमान साहब ने 1947 के बाद मस्जिदों और कब्रिस्तानों को वापस लेने के लिए दौड़-धूप की। इरामें कुछ थोड़ी सी कामयाबी हुई। जब वक्फ बोर्ड 1962 में कायम हुआ, तो उसने वक्फ जायदादों को लौटाने के लिए मुकदमों किए। अब तक 1200 कोसिज में से सिर्फ 70 कोसिज का निबटारा हो सका है और बाकी कोसिज का निबटारा नहीं हो सका है। वह ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है।

इसी तरह से बहुत से लोग व्यक्तिगत तरीके से बगेस मृतवल्ली हो गए हैं और होटल खुल गए हैं, मकानात को तफरीह-गाह बना लिया गया है। अगर किसी व्यक्ति ने इस किस्म का गसबन कब्जा किया है, तो वह व्यक्तिगत हीरियत है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली में मालवीय नगर के कबरिस्तान पर डी.डी.ए. ने कब्जा कर लिया है। इसी तरह से निजामुद्दीन में डी.डी.ए. ने पुल बनाने के सिलसिले में सड़क के लिए कबरिस्तान को दखल कर लिया है। पूर्वी मार्ग, बंसत बिहार, सैल नं. 260 में कबरिस्तान को डी.डी.ए. ने पार्क बना दिया है। जब हुकूमत के अधिकारी वक्फ की जायदाद पर कब्जा

करते हैं, उसकी इज्जत न करते हैं, तो व्यक्तिगत लोगों को क्या कहा जा सकता है ?

इस सिलसिले में मैं सबसे बड़ी बात यह कहना चाहता हूँ कि दिल्ली एक ऐसा शहर है, जहाँ हजारों बरसों से हुकूमतें बगती रही और टूटती रही हैं। यहां पर कभी राजपूतों की हुकूमत थी, फिर मुगलों की हुकूमत थी, फिर अंग्रेजों की हुकूमत हुई और आज कांभी हुकूमत है। मगर दिल्ली में जितने मजहबी इरादे या इबादतगाहें बनी हुई हैं, चाहे वह किसी मजहब की हों, बुद्धिस्ट, हिन्दू, सिख या ईसाई मजहब की हों, को मानने वालों को हक है कि वे उनमें उनकी मरम्मत कर सकें, उनमें इबादत कर सकें और उनको तरक्की दे सकें। मगर दिल्ली में अंग्रेजी दौर से यह कानून है कि आज तक जो मस्जिदें मुगल दौर में बनी हैं, उन्हें आसार-कदीमा के तौर पर रखा गया है, उन्हें मानने वाले लोगों को हवाले नहीं किया जाता है और न उनकी मरम्मत होती है। नतीजा यह होगा कि ऐसी मस्जिदें गिर जाएंगी, ढह जाएंगी (गुरुद्वारे, गिरजा और मंदिर को मानने वालों का हक है कि वे उनमें इबादत कर सकें और उनकी मरम्मत कर सकते हैं और उन्हें बढ़ा सकते हैं। फिर वही हक मस्जिद को मानने वालों को भी मिलना चाहिए, लेकिन दिल्ली में उन्हें यह हक नहीं है। दिल्ली में मुगल दौर की बहुत सी मसजिदें, दरगाह और मजारत ऐसे हैं, जिन्हें आसार-कदीमा करार दिया गया है, हालांकि वक्फ के गजेट में दर्ज है कि वे वक्फ जायदाद हैं, जो सरासर प्रजातन्त्र के खिलाफ है। ऐसा हक सभी मजहब वालों को बराबर होना चाहिए। जहाँ कहीं कांशिशों की गई हैं बहुत मुश्किलों के बाद उस को निजात मिली है। तुगलक की मस्जिद बरात बिहार में है, उस को डी.डी.ए. ने तफरीहगाह बना लिया था। बहुत कांशिश करने के बाद अब उस को वापस कर दिया गया है। शेरशाह की बहुत बड़ी मस्जिद है, वीरान पड़ी हुई है, चारों तरफ से टूट रही है। जनपथ की मस्जिद है और पहाड़गंज की मस्जिद में होटल खोला हुआ है। अफ-

सबसे इस बात का है कि राजधानी में अगर इस किस्म की बातें होती हैं तो पूरे हिन्दुस्तान में क्या होता होगा ?

मैं एक चीज बतला देना चाहता हूँ। जब कि मैंने 1950-51 में सऊदी अरब का दौरा किया तो एक अरबी ने कहकहा लगाते हुए मुझसे यह पूछा कि तुम कहां से आए हो ? मैंने कहा कि हिन्द से आया हूँ। तो उसने कहा जहां मुसलमानों को दिन रात काटा जाता है और उन की मस्जिदों और कब्रिस्तानों को दखल किया जाता है ? मैंने कहा यह सब झूठ है, यह पाकिस्तानियों का प्रोपेगैंडा है। हम प्रकेश 1786 एल. एस. 9-14 10-9-82 लोग वहां मुतमईन हैं। मैंने कहा कि जिस हिन्दुस्तान के बारे में आप ऐसा कह रहे हैं वहां एक मुसलमान मौलाना अबुल कलाम आजाद वजीर तालीम हैं।

लेकिन जब मैं हिन्दुस्तान आया और दिल्ली में देखा तो मालूम हुआ कि बहुत सी मस्जिदें हमारे कब्जे में नहीं हैं। जनपथ की मस्जिद, पहाड़गंज की मस्जिद, जैबून निशा वाली मस्जिद इत्यादि हमारे कब्जे में नहीं हैं। इन सारों की सारी मस्जिदों में या तो घाड़ें बांधी जाते हैं, हॉटल खोले हुए हैं या डी.डी.ए. ने उन पर कब्जा कर रखा है। राजधानी के अंदर यह चीज जो मुस्लिम फिरके के साथ की जा रही है पूरी दुनिया में इस की शोहरत फैलती है और हुकूमत की बदनामी होती है।

साथ ही साथ मैं यह कह देना चाहता हूँ कि जो आज वक्फ बोर्ड है वक्फ बोर्ड के जरिए भी बहुत कुछ गदरबूत हुआ है। बहुत जायदाद बेची गई है और उन जायदादों से जो आमदनी होती रही है उन पैसों का गबन किया गया है। जरूरत इस बात की है कि कम से कम दिल्ली वक्फ बोर्ड को बदला जाए और ऐसे लोगों को दिल्ली वक्फ बोर्ड में लाया जाए जिन को खुदा का डर हो और वक्फ की जायदाद की आमदनी को सार्वजनिक मुस्लिम कामों में लगाएं, जैसे मुस्लिम प्रसेनलाट-बोर्ड का जमातुल हिन्द-उल्मा इबादतगाहों को इबादतगाह समझ कर उस की मरम्मत

भी करे और उस से जो आमदनी हो उसे वह मस्जिदों में लगाएं। यह मेरी तजवीज है और इस तजवीज के तहत हुकूमत को चाहिए कि इस सिलसिले में वह सख्त कदम उठाए। यह मकूल है कि ऐसी बात न कहा करे जो खुद न करे। इसी तरह हुकूमत को यह लाजिम है, उस की कार्यवाहियों का उसी वक्त अरार होगा जब वह खुद इस तरह की कार्यवाहियां बंद करे। आप किस को कहिएगा, किस को नसीहत कीजिएगा जब खुद ही आप ऐसा करते रहिएगा ? मस्जिदों पर कब्जा, दरगाहों और मजारों पर कब्जा, उन को तफरीहगाह बनाना और कब्रिस्तानों पर सड़क बनाना, ये काम तो हुकूमत खुद कर रही है तो वह कहेगी किस को ? इस लिए सब से पहले जरूरत इस बात की है कि हुकूमत इन बातों से बाज आए तभी इरा का असर अवाम पर होगा और अवाम जो इस पर जबर काबिज है वह उस से बाज आएगा।

شہری نہیں الدین (گودہ) :

اپنی دیکھیں مہرودے - مہرودے اس ولف بل کی پرزور تائید کرتا ہوں ساتھ ہی ساتھ اظہار خیال کے طور پر چند باتوں پر بھی کر دینا ضروری سمجھتا ہوں - سنی وقف کی دو قسموں میں - وقف دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وقف عام اور دوسرا وقف ال اولاد - وقف عام وہ ہے جو مذہبی کاموں کے لئے اور اقتصاد کاموں کے لئے اسی فرقے کے لئے ہونا چاہئے۔ مس فرقے کا وہ وقف ہے - وقف ال اولاد وہ ہے اگر کسی کا باپ اپنی اولاد کے لئے وقف کر دے تو وہ اولاد اس کی پیداوار کو آمدنی کو کہا سکتی ہے مگر بیچ نہیں سکتی - وقف جائیداد کا فروخت کرنا ناجائز ہے - مجھے اس

[شری ندیم الدین]

بات کا افسوس ہے کہ بل شہر میں ۱۲۰۰ کھسز ایسے ہیں۔ اور یہ کھسز کب ہوئے۔ ۱۹۴۷ء کے بعد جب پاکستان اور ہندوستان کا ہتوارہ ہوا تو ۱۲۰۰ وقف جائدادوں کے بارے میں کڑبڑ پیدا ہوئی اور اس کڑبڑ کو پیدا کرنے کے لئے یہاں کی سرکار کی بھی شکایت ہے۔ مولانا ہیجے الرحمن صاحب نے ۱۹۴۷ء کے بعد مسجدوں اور قبرستانوں کو واپس لینے کے لئے دوز دھوپ کی۔ اس میں کچھ تہذیبی سو کامیابی ہوئی۔ جب وقف بورڈ ۱۹۶۲ء میں قائم ہوا تو اس نے وقف جائدادوں کو لوٹانے کے لئے مقدمے کئے۔ اب تک ۱۲۰۰ کھسز میں سے صرف ۷۰ کھسز کا نپتارا ہو سکا ہے اور باقی کھسز کا نپتارا نہیں ہو سکا ہے۔ وہ جیروں کا تھوڑا پڑا ہوا ہے۔

اسی طرح سے بہت سے لوگ ریگٹی کٹ طریقے سے ہوکس متولی ہو گئے ہیں۔ اور ہوٹل کھل گئے ہیں مکانات کو تخریب گاہ بنا لیا گیا ہے۔ اگر کسی ریگٹی نے اس قسم کا کھن قبضہ کر لیا ہے تو وہ ریگٹی کٹ حیثیت ہے لیکن مجھے افسوس ہے ساتھ کہا پڑتا ہے کہ دلی میں سالویہ نگر کے قبرستان پر قی۔ قی۔ اے۔ نے قبضہ کر لیا ہے۔ اسی طرح سے نظام الدین میں

قی۔ قی۔ اے۔ نے ہل بدلنے کے سلسلے میں سوک کے لئے قبرستان کو داخل کر لیا ہے۔ پوری مارگ وسلیت وہاں سہل نمبر ۲۶۰ میں قبرستان کو قی۔ قی۔ اے۔ نے پارک بنا دیا ہے۔ جب حکومت کے افسکاری وقف کی جائداد پر قبضہ کرتے ہوں اس کی عزت نہ کرتے ہوں تو ریگٹی کٹ لوگوں کو کہا کہا جا سکتا ہے۔

اس سلسلے میں میں سب سے پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دلی ایک ایسا شہر ہے جہاں ہزاروں برسوں سے حکومتیں بنتی رہی اور توکتی رہی ہیں۔ یہاں پر کبھی راجپوتوں کی حکومت تھی پھر مغلوں کی حکومت تھی پھر انگریزوں کی حکومت ہوئی اور آج قومی حکومت ہے۔ مگر دلی میں جملے مذہبی ادارے یا عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں چاہے وہ کسی مذہب کی ہوں بدھ است ہندو سکھ یا عیسائی مذہب کی ہوں انہیں ماننے والوں کو یہ حق ہے کہ وہ ان کی صورت کر سکیں اور ان میں عبادت کر سکیں اور ان کو ترقی دے سکیں۔ مگر دلی میں اریزی دور سے یہ قانون ہے کہ آج تک جو مسجدیں مغل دور میں بنی ہیں انہیں آثار قدیمہ کے طور پر رکھا گیا ہے انہیں ماننے والے لوگوں کے حوالے

نہیں کہا جاتا ہے اور نہ ان کی مرمت ہوتی ہے نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسی مسجدیں گر جائیں گی تھ جائیں گی - گردوارے گرجا اور مندر کو ماننے والوں کو حق ہے کہ وہ ان میں عبادت کر سکتے ہیں ان کی مرمت کر سکتے ہیں اور انہیں بڑھا سکتے ہیں - پھر وہی حق مسجد کو ماننے والوں کو بھی ملنا چاہئے لیکن دلی میں انہوں نے یہ حق نہیں ہے - دلی میں مغل دور کی بہت سی مساجد درگاہیں اور مزارات ایسے ہیں جنہوں آثار قدیمہ قرار دیا گیا ہے حالانکہ وقف کے گزرتے ہیں درج ہے کہ وہ وقف جائدادیں ہیں - جو سراسر پرجا تلمتر کے خلاف ہیں - ایسا حق سبھی مذہب والوں کو برابر ہونا چاہئے - جہاں کہیں کوششیں کی گئی ہیں بہت مشکلات کے بعد اس کو نجات ملی ہے تغلق کی مسجد وسلت وھار میں ہے اس کو قی - قی - اے - تدریج گاہ بنا لیا تھا - بہت کوشش کرنے کے بعد اب اس کو واپس کر دیا گیا ہے - شہر شاہ کی مسجد بہت بڑی مسجد ہے اور پہاڑ گلج کی مسجد میں ہوٹل کھولا ہوا ہے - افسوس اس بات کا ہے کہ راجدھانی میں اگر اس قسم کی بنائیں ہوتی ہیں تو پورے ہندوستان میں کہا جاتا ہوگا -

میں ایک چیز بتلا دینا چاہتا ہوں - جب میں 01-1904ء میں سعودی عرب کا دورہ میں نے کہا تو ایک عربی نے تہقہہ لگاتے ہوئے مجھ سے یہ پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو - میں نے کہا کہ ہند سے آیا ہوں - تو اس نے کہا جہاں مسلمانوں کو دن رات لٹا جاتا ہے اور ان کی مسجدوں اور قبرستانوں کو ختم کیا جاتا ہے - میں نے کہا یہ سب جھوٹ ہے یہ پاکستانوں کا پروپیگنڈہ ہے - ہم لوگ وہاں مطمئن ہیں - میں نے کہا کہ جس ہندوستان کے بارے میں آپ ایسا کہہ رہے ہیں وہاں ایک مسلمان مولانا ابوالکلام آزاد وزیر تعلیم ہیں - لیکن جب میں ہندوستان آیا اور دلی میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ بہت سی مسجدیں ہمارے قبضے میں نہیں ہیں - جن پتہ کی مسجد پہاڑ گلج کی مسجد جہین اللہا والی مسجد اتھادی ہمارے قبضے میں نہیں ہیں - ان ساری کی ساری مسجدوں میں یا تو گھوڑے باندھے جاتے ہیں ہوٹل کھولے ہوئے ہیں یا قی - قی - اے - نے ان پر قبضہ کر رکھا ہے - راجدھانی کے اندر یہ چیز جو مسلم فرٹے کے ساتھ کی جا رہی ہے پوری دنیا میں اس کی شہرت پھیلتی ہے اور ہماری حکومت کی بدنامی ہوتی ہے -

[شرعی ٹمنہن الدین]

ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو آج وقف بورڈ ہے وقف کے ذریعہ بھی بہت کچھ قدر ہوا ہے۔ بہت زیادہ جائداد بھچی گئی ہیں اور ان جائدادوں سے جو آمدنی ہوتی رہی ہے ان پیسوں کا فنڈ کیا گیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کم سے کم دلی وقف بورڈ کو بدلا جائے اور ایسے لوگوں کو دلی وقف بورڈ میں لیا جائے جن کو خدا کا ڈر ہو اور وقف کی جائداد ہمد کی آمدنی کو ساروچندک مسلم کاموں میں لگانے جیسے مسلم پرسنلٹ بورڈ وا جمینٹل الما عبادت گاہوں کو عبادت گاہ سمجھ کر اس کی مرمت بھی کریں۔ اور اس سے جو آمدنی ہو اسے وہ مساجدوں میں لگائیں۔ یہ میڈی تجویز ہے اور اس تجویز کے تحت حکومت کو چاہئے کہ اس سلسلے میں وہ سخت قدم اٹھائے۔ یہ مقولہ ہے کہ دہا ایسی بات نہ کہا کرو جو خون نہ کرو۔ اسی طرح حکومت کو یہ لازمی ہے اس کی کاروائیوں کا اسی وقت اثر ہوگا جب وہ خون اس طرح کی کاروائیاں بند کرے۔ آپ کس کو کہتے گا۔ کس کو نصیحت کیجئے گا۔ جب خود ہی آپ ایسا کرتے رہتے گا۔ مساجدوں پر قبضہ درگاہوں اور مزاروں پر قبضہ ان کو تدریج گاہ بنانا اور قبرستانوں پر سڑک بنانا یہ کام تو

حکومت خود کر رہی ہے تو وہ کہتے کی کس کو۔ اس لئے سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت ان بنانوں سے باز آئے تبھی اس کا اثر عوام پر ہوگا اور عوام جو اس پر قسداً قابض ہیں وہ اس سے باز آئے گا۔

श्री सैयद मसुबल हुसैन (मुर्शिदाबाद): मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ लेकिन समर्थन करते हुए भी मैं यह बताऊंगा कि यह सरकार जो इस बिल को सदन में पेश किए हुए है यह बिल्कुल बेकार है। बेकार इसलिए कि जो ऑरिजिनल एक्ट, 1959 इस सदन में पास हुआ था, उसमें कई बार अमेंडमेंट किए गए हैं। 1967, 1969, 1972, 1974, 1978---इस प्रकार पांच मर्तबा इस बिल में अमेंडमेंट हो चुका है, लेकिन जायदाद जहां थी, वहीं है और वहां से वापिस नहीं आयी है। जिसके कब्जे में वह जायदाद है, वह उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सरकार की भी नीयत नहीं है, उसको वापिस लाने की।

श्री जी.एम. बनातवाला : जायदाद की बात अलग है, सर्वे नहीं हो रहा है।

شرعی جی - ایم - بنات والا :

جائداد کی بات الگ ہے۔ سرورے نہیں ہو رہا ہے۔

श्री सैयद मसुबल हुसैन: सरकार की नीयत नहीं है। राज्य सभा में इस बारे में मंत्री म्हादय द्वारा जवाब दिया गया था। 22-23 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस बिल के पास होने के बाद भी इसमें सर्वे कम्पलिट नहीं हुआ है। उसकी जिम्मेदारी किस पर है? सरकार की नीयत नहीं है सर्वे कम्पलिट कराने की। जो इल्लिगली वक्फ प्रापटी को कब्जा किए हुए बैठे हैं। जिसको प्रापटी मिली हुई है, वह सोचता है कि अगर इसके लिए

दो-चार हजार जाता है, तो वह परवाह नहीं करता है। एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी यह जिम्मेदारी है वह भी उसको वापिस लेना चाहता है, क्योंकि वह भी देखता है कि उसको दो-चार हजार मिल रहा है। वक्फ प्रापटी अगर वारिस आ जाएगी तो मेरा घाटा हो जाएगा। वह यह सांचता है कि जब तक इल्लिगली दखली प्रापटी दूसरे के हाथ में रहेंगी, तब तक मेरा फायदा है। इस संबंध में मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि 1985 तक इसमें लिमिटेड शियर एक्सटेंड होने वाला है। 1985 में आप फिर इस सदन में एक और बिल लायेंगे कि इसको 1990 तक एक्सटेंड कर दिया जाए। इस प्रकार एक्सटेंड होता रहेगा, लेकिन कुछ काम नहीं होगा। यदि आप कुछ काम करना चाहते हैं, तो मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ।

वैस्ट बंगाल में इस संबंध में बंगाल वक्फ एक्ट 1934 है, उसके मुताबिक कमीशनर आफ वक्फ होते हैं। वे ही सब वक्फ प्रापटी के ओवर-हाल सुपरवीजन मन्टेन्स और एडमिनिस्ट्रेशन के मालिक होते हैं। इस संबंध में कमीशनर आफ वक्फ को पावर दी गई है कि अगर कोई प्रापटी इल्लिगली ट्रांसफर हो गई है या दूसरे ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है इस हालत में अगर उस वक्फ प्रापटी की कोई मुतवल्ली न हो या तो मुतवल्ली है लेकिन वे ट्रांसफर हुई प्रापटी को वापिस लेने को तैयार नहीं हैं, ऐसी हालत में।

The Commissioner of Wakfs in the competent person to file a suit as a plaintiff against the stranger - purchaser or the illegal occupant.

इस प्रकार की बात उसमें लिखी हुई है। उस एक्ट में इतना तक कहा गया है कि कोई भी प्रापटी वक्फ बोर्ड में इन्रोल नहीं है और कमीशनर को यह मालूम हो गया है कि वह प्रापटी कभी भी वक्फ प्रापटी के हिसाब से ट्रिट होता था और मुतवल्ली ने

इसको बंच दिया है या परसनल प्रापटी के हिसाब से ट्रिट कर रहे हैं, इस प्रकार की खबर यदि उसको किसी भी तरह से मिल चुकी है या परसनल कार्रसपोडेंस से मिलती है, तो उसको यह पावर है कि वह प्रापटी को इन्रोल कर सकता है। उन की इस बारे में जो फाडीडिंग होगी, वह बंगाल वक्फ एक्ट, 1934 के मुताबिक जूडीशियल फाडीडिंग के बराबर है। इस पर आप ध्यान दीजिए।

कोर्ट फीस के बारे में मुझे यह कहना है कि अगर लाखों रुपए की जायदाद भी होती है और प्रापटी की रिकवरी का अगर मामला हो, तो एड वलोरम कोर्ट फी को जरूरत होगी। इस के बारे में कलकत्ता हाई कोर्ट की डिबीजन बैंच का 1954 का एक डिबीजन है, रिपोर्टेंड इन 1954, कलकत्ता पेज 101। इस में साफ बताया गया है कि वक्फ प्रापटी का हकीकत में जो मालिक होता है, वह अल्ला होता है और अल्ला तो मामला करने के लिए आता नहीं और मामला करने के लिए कमीशनर साहब जाते हैं, जिन का इस वक्फ प्रापटी में जो इन्टेस्ट होता है वह बहुत लिमिटेड होता है और वे सिर्फ सुपरवीजन, एडमिनिस्ट्रेशन और मन्टीनंस पर ही ध्यान देते हैं और उन के परसनल गेन का कोई सवाल नहीं होता, इसलिए इस पर एड वलोरम फीस नहीं लगेगी और इन के लिए तो जो नामोनल फीस जो डेक्लोरेशन आफ टाइटिल और परमानेंट इंजक्शन के लिए है, उतनी ही कोर्ट फीस से काम चल जाएगा। तो इस पर आप ध्यान दें। आप कह रहे हैं कि जो जायदाद है, पैसे की वजह से और साधन की वजह से उस के लिए कुछ करने के बारे में अमल नहीं हो रहा है। यह जो आप कह रहे हैं यह कुछ लोगों को गार्ड करने के लिए कह रहे हैं और आम पब्लिक को गुमराह करने के लिए ऐसा कर रहे हैं।

[श्री संयद मसूदल हुसैन]

मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि बनी कमेट्री की रिपोर्ट है दिल्ली की वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में। 1974 में 23 मई को उस की मीटिंग हुई थी और उस की जो फाइंडिंग्स हैं, वे आप के खिलाफ हैं और उस मीटिंग में दि दैन एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर, मिनिस्टर आफ वक्फ मरहूम फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे। अब आप उस पर भी गौर नहीं कर रहे हैं।

श्री नारायण चाँबे (मिदनापुर): उन की क्या फाइंडिंग्स हैं, वे पढ़ दीजिए।

श्री संयद मसूदल हुसैन : मैं उस को पढ़ देता हूँ।

“Lastly the Committee recommended that the Wakfs which were in dilapidated condition and were not capable of use and such of the Wakfs which were non-existent at site and where the Government had already constructed buildings, etc. should be given to the Government and the Delhi Wakf Board should withdraw its claim over these properties.”

इस के बारे में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जहाँ तक दिल्ली की बात है, इस में बहुत सी मिनिस्ट्रीज इन्वोल्ड हैं, मिनिस्ट्री आफ वर्क्स एंड हाउसिंग इन्वोल्ड है। बनी कमेट्री की रिपोर्ट है हालाँकि मुझे ऑरिजिनल रिपोर्ट नहीं मिली है और नोट ही मिला है। ऑरिजिनल रिपोर्ट का देखने के बाद अगर मौका मिले और मौका तो जरूर मिलेगा क्योंकि 1985 में इस तरह का बिल फिर सदन में आएगा, तब मैं इस के बारे में कहूँगा। तो मेरा कहना यह है कि वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में बार-बार ऐसा धोका देना ठीक नहीं है। दिल्ली की वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में आप एक काम्प्रीहेंसिव बिल लाइये और इस प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए कोशिश कीजिए। दूसरी स्टेट्स में जो उन के अलग अलग एक्ट हैं, वे मेरे ख्याल से काफी हैं। कर्नाटक में कुछ काम हो चुका है और कुछ होना है।

अन्त में मैं यही कहूँगा कि बंगाल वक्फ एक्ट जो है, उस के मुताबिक आप एक काम्प्रीहेंसिव बिल दिल्ली के लिए लाइए और इस की प्रॉपर्टी को बचाने की कोशिश कीजिए।

श्री जगन्नुल बशर (गाजीपुर): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बिल की तारीफ करते हुए, इन मौकों का खैरमकदम करता हूँ कि मुझे वक्फ के बारे में चन्द बातें अर्ज करने का मौका मिला है।

आज वक्फ की जो जायदादें हैं उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। कराड़ों रुपये की मिल्कियत की ये जायदादें हिन्दुस्तान के हर हिस्से में फैली हुई हैं। इन जायदादों का मकसद मुसलमानों की बेहदारी और बहबूदी के लिए, उनके मजहबी कामों के लिये, उनको इकतसादी हालत को बेहतर बनाने के लिये है लेकिन आज मैं बहुत दुःख के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि पूरे मुल्क में, खास तौर पर दिल्ली में वक्फ जायदादों की एक बड़ी लूट मची हुई है। इस लूट में सिर्फ प्राइवेट लोग ही शामिल नहीं हैं, बल्कि इस लूट में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट की एजेंसियाँ भी शामिल हैं। खुद दिल्ली में डी. डी. ए. वक्फ जायदादों की सब से बड़ी डकैत है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वक्फ जायदादों के पीछे पड़ा हुआ है। खुद जब मरकजी हुकूमत की नाक के नीचे दिल्ली में वक्फ जायदादों की लूट मची हुई हो तो डिप्टी स्पीकर साहब आप इस बात का अन्दाजा लगा सकते हैं कि पूरे मुल्क में क्या होता होगा।

वक्फ जायदादें जिस तरह से लूटी जा रही हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1976 में एक वक्फ इक्वायरी कमेट्री बनायी गयी थी। उस कमेट्री की फाइंडिंग्स में लिखा है -

“With all the Wakf properties situated in the capital, where the land hunger is acute and the land value has been sky-rocketing, the number of unauthorised occupation of Wakf land and property has been on a tremendous scale. As a result of this, not only the individual Wakf institutions have

suffered great losses, but the income of the Delhi Wakf Board has also considerably shrunk under such circumstances."

डिप्टी स्पोकर्स साहब कमेटी ने फिर आगे लिखा है -

"We are actually distressed to note that while the Central Wakf Minister has been hammering home through several demi-officials upon the State Chief Ministers that all the Wakf properties under illegal occupation of the State Government, local bodies such as Municipalities, Zila Parishad and Panchayats should be handed over to the Wakf Board.....

and wherever a title is disputed, a committee should be formed to settle such questions amicably in respect of the Union Territory of Delhi, Where the Delhi Development Authority and the Delhi Administration are stated to have encroached upon wakf property on a large scale, no such action so far has been taken."

1976 में वक्फ इन्क्वारी कमेटी ने रिपोर्ट दी। इसी रिपोर्ट का दखत हुए गवर्नमेंट ने एक बनी कमेटी अपाएट को जो गवर्नमेंट की एजेंसियां डी. डी. ए. या वर्क्स एण्ड हाउसिंग डिपार्टमेंट वगैरह हैं, इनसे जो वक्फ बोर्ड के डिस्प्यूट आफ प्रापर्टी के बारे में चल रहे हैं, उन मामलों का फैसला करेगी। बनी साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। उस कमेटी की रिपोर्ट भी हमारे सामने है। उस कमेटी ने दिल्ली वक्फ जायदादों को तीन हिस्सों में बांटा है—मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान। जमीन-जायदाद के जो भी भूगड़ थे, उनके बारे में उन्होंने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के पहले हिस्से में उन्होंने कहा -

"The Wakf properties, which are in existence on the site or in the regular use, shall be transferred to the Delhi Wakf Board/Mutawallis and the Government will withdraw its claims to the ownership. The Wakf Board/Mutawallis will be empowered to develop such

properties in accordance with the Master Plan and Municipal by-law."

इसमें 88 प्रापर्टीज का जिक्र है, मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, वक्त नहीं है, लेकिन 88 प्रापर्टीज का जिक्र बनी कमेटी ने किया है, जिसमें वक्फ बोर्ड को या जो जायदाद मुतल्लवी है, उनको प्रापर्टी वापस कर देने चाहिए और अधिकार देना चाहिये कि वे दिल्ली मास्टर प्लान के तहत उसका डेवलपमेंट कर सकें और जो आमदनी है उसे ले सकें।

दूसरी कैटेगरी में उन्होंने कहा -

"The wakfs which are non-existent on site and which the Government constructed buildings, parks etc. shall be handed over to the Government. The Delhi Wakf Board shall withdraw its claim to this property."

इसमें 11 प्रापर्टीज थी, जिन पर डी. डी. ए. ने या गवर्नमेंट एजेंसियां ने अपनी बिल्डिंग्स बना दी थी, पार्क बना दिये थे, उनके कब्जे में चले गए थे, इसलिये बनी कमेटी ने 11 जायदादों को डी. डी. ए. को और अन्य गवर्नमेंट एजेंसियों को वापस करने के लिये सिफारिश की।

तीसरी सिफारिश थी -

"The Wakfs which are in dilapidated condition shall be handed over to the Delhi Wakf Board.

"The Government shall withdraw its claim to the ownership of such properties. The Delhi Wakf Board shall also be permitted to develop them in accordance with the Master Plan and Municipal by-laws. The Delhi Wakfs Board shall develop this work in a befitting manner keeping in view the architecture of the surrounding etc.."

इसमें 47 प्रापर्टीज थी, जिनको गवर्नमेंट एजेंसियां को वक्फ बोर्ड को या मुतल्लवी को वापस करना था। इसके आलावा मस्जिद के लिये, कब्रिस्तान के लिये बनी कमेटी ने साफ अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये सारे कब्रिस्तान और मस्जिद वक्फ बोर्ड को या मुतल्लवी को वापस करनी चाहियें।

[श्री जैनुल बशर]

डिप्टी स्पीकर साहब, बर्नी कमेट्री ने सारी प्रापर्टीज को डिमार्क कर दिया था, अलग-अलग कर दिया था, इतनी साफ रिपोर्ट होने के बावजूद मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हुकूमत ने कोईवाही नहीं की। थोड़ी-बहुत प्रापर्टीज वापिस की है, जिसमें काफी लोगों ने दिलचस्पी रखी, दांड-धूप की, एम पीज ने दिलचस्पी ली, उनको वापिस कर दिया गया है।

लेकिन बहुत तादाद में जायदाद अब भी लोगों के कब्जे में है। जो गवर्नमेंट के, डी.डी.ए. के तथा दूसरी गवर्नमेंट एजेंसीज के कब्जे में है वक्फ बोर्ड की प्रापर्टीज गैर कानूनी तरीके से उनको तो गवर्नमेंट छोड़ नहीं रही है तो प्राइवेट लोगों ने जो एनक्रोचमेंट कर रखा है, उसके लिये क्या कहा जाए।

वक्फ बोर्ड के जो मृतवल्ली हैं, जो वक्फ की देखभाल करने वाले हैं वे भी सभी ईमानदार नहीं हैं। खुदा का और ला का डर लगता है तो उन के दिल से खत्म हो गया है। खुद वक्फ के मृतवल्ली जो उनकी देख-रेख के लिए मकरर हैं या वक्फ बोर्ड ने उनको बनाया है या जिन लोगों ने वक्फ किया था और जो मृतवल्ली चले आ रहे हैं उन्होंने भी बहुत सी वक्फ की जायदाद जिस में कब्रिस्तान शामिल है, मस्जिदें शामिल हैं, दूसरी जायदादें शामिल हैं उनको बेचना शुरू कर दिया है, उनको बेचते चले जा रहे हैं। वक्फ की जायदाद बिकती नहीं है। वस ए वक्फ, फार एवर ए वक्फ। एक बार जो वक्फ की चीज हो गई वह हमेशा वक्फ की रहती है। उसको बेचा नहीं जा सकता है। उससे आमदनी की जा सकती है, इनकम की जा सकते हैं। ऐसे लोगों पर भी गवर्नमेंट को नजर रखनी है जो ब्लैक शीप खुद मुसलमानों में हैं, जो वक्फ प्रापर्टीज को बेचते जा रहे हैं उन पर भी कड़ी निगाह रखने की जरूरत है। वक्फ के कानून को आप बदलें। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे वक्फ प्रापर्टीज के साथ आप इन्साफ नहीं कर सकते। आज करोड़ों नहीं बल्कि अरबों की जायदाद पूरे हिन्दुस्तान के मुसलमानों के पास है जिसे उनकी

तौलीम को तरक्की देने के लिये, उनकी इकतसादी हालत बेहतर बनाने के लिये अस्पताल खोलने के लिये और दूसरे चैरिटेबल परपोजिज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वह नहीं हो रहा है। मजबूरन हम गवर्नमेंट की तरफ देखना पड़ रहा है। आप एक सख्त कानून बनायें जिससे वक्फ प्रापर्टी का एनक्रोचमेंट न हो सके और इस एनक्रोचमेंट को रोकने के लिए पहले यह जरूरी है कि हुकूमत में जो एनक्रोचमेंट किया है, उसे को वह छोड़ें और एक मिसाल कायम करें दूसरे लोगों के लिये कि गवर्नमेंट ने वक्फ प्रापर्टी सारी छोड़ दी है, वे भी उसको छोड़ दें।

एक आखिरी बात कह कर मैं खत्म करता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला है। मैं उसके मीरिट्स में नहीं जाना चाहता। यह कोर्ट का फैसला है। यह बहुत खतरनाक फैसला है। उसने कहा है कि हुकूमत वक्फ प्रापर्टी को जिस में मस्जिद और कब्रिस्तान भी शामिल हैं एक्वायर कर सकती है और उस पर बिल्डिंग वगैरह बना सकती है। मस्जिद के लिए उसने कहा है कि मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ना वहां जरूरी नहीं है, इसलिए मस्जिद को भी एक्वायर किया जा सकता है। आप तो जानते ही होंगे कि मुसलमानों में मस्जिद का क्या रतबा है, मस्जिद मुसलमानों के लिए जरूरी है या नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले ने बहुत डैमेज किया है। इसको दूर करने के लिए मैं आपके जरिये खास कर एग्जिकलचर मिनिस्टर साहब से दर-रवास्त करूंगा कि जब ग्रह-लैंड एक्विजिशन बिल अगले सेशन में लाए तो कम से कम इस बात का बन्दोबस्त जरूर करें कि मजहबी जो जायदादें हैं चाहे वे हिन्दू मजहब से ताल्लुक रखती हों, मुस्लिम मजहब से ताल्लुक रखती हों, सिख मजहब से ताल्लुक रखती हों, एक्वायर नहीं की जाएंगी।

इन अल्फाज के साथ मैं उस बिल को पुरजोर ताईद करता हूँ।

श्री गुलाम मोहम्मद खां (मुरादाबाद) :
जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका
शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस बिल
पर बोलने का मौका दिया है।

मैं आपके सामने इसकी छोटी सी
हिस्टरी पेश करना चाहता हूँ। 1947
से पहले यहाँ पर जो खाते-पीते और माल-
दार मुसलमान थे, उन्होंने कुछ जायदाद
वक्फ कीं। उन्होंने तीन तरह से वक्फ
कीं। एक तो वक्फ अलल-औलाद यानी
उनकी औलाद ही मालिक हो सकती है,
और कोई नहीं। दूसरे, मजहबी कामों
के लिए वक्फ किया, ताकि उसमें सिर्फ
मस्जिद बन सके या दानी तालीम दी जा
सके। तीसरे, समाजी तालीम के लिए
जायदाद वक्फ की गई, ताकि स्कूल और
यतीमखाने वहाँ चलाए जा सकें।

बदकिस्मती हिन्दुस्तान की यह हुई
कि 1947 में तक्सीम के बाद जिन लोगों
ने वक्फ किया था, वे और मुतवल्ली लोग
मय कागजात के मुल्क से बाहर चले गए
और कुछ नहीं पता चला कि वक्फ की
जायदाद कौन सी और कहां है। मरहूम
पंडित जी के जमाने में भी यह मामला
जेरे-बहस आता रहा। 1954 में पार्लियामेंट
में एक बिल पेश किया गया। उसमें
यह तय किया गया कि वक्फ बोर्ड बनाया
जाए, वक्फ डेवलपमेंट कांसिल बनाई
जाए और उसका चेयरमैन जनाब फख्रुद्दीन
अली अहमद को बनाया गया। उसमें यह
तय पाया गया कि उन कागजात की तलाश
की जाए, ताकि पता चले कि कौन-कौन
सी जायदाद वक्फ की है। लगभग 1200
से ज्यादा जायदाद कई कामों के लिए
वक्फ की गई थीं। तलाश जारी रही।
1959 तक बहुत सी जायदादों का पता
नहीं चला, कुछ का पता चल गया। बाज
पर बाहर से आए हुए शरणार्थियों ने कब्जा
कर लिया।

फिर इसमें तोसीअ के लिए पार्लियामेंट
में बिल आया। इस तरह से पांच बार
यह बिल तोसीअ के लिए आया है। अभी
तक सबसे कम्पलीट नहीं हुआ है और न
जायदादों का पता चला है। पांच बार

एक सटेशन देने के मानी थे है कि दाल में
कुछ काला है। क्यों बार बार एक्सटेंशन
दिया जाता रहा है? ताकि एनक्रोचमेंट
पक्का और मजबूत हो जाए, बिल्डिंग,
सिनेमा और बाजार बन जाएंगे, तो कोई
सवाल ही नहीं रहेगा उन जायदादों को
खाली कराने का।

बहुत सी जायदाद ऐसी है, जो इस
वक्त गवर्नमेंट के कब्जे में है, जैसा कि
हमारे दूसरे मुकरर्रीन ने फरमाया है,
और वह बिल्कुल सही है। जब सरकार
ही कब्जा कर रही है, तो फरियाद कहां
करेंगे? मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि
वह पहले सरकार को रोकें, वरना यह बिल
तो महज एक तमाशा बन जाएगा। सब
लोग हंसते हैं कि बार-बार एक्सटेंशन देने
का क्या मतलब है, क्या मिल-मिला कर
बात खत्म हो जाएगी। 402 कैसों का
फैसला हो चुका है, लेकिन वे जायदाद
भी वक्फ बोर्ड को नहीं दी गई है। माफ
करें, ऐसा मालूम होता है कि वक्फ बोर्ड
अन्दर में गदला है। उसमें वे आदमी रखे
जाते हैं, जो बड़े रिटायर्ड आफिसर्स हों,
जिन्हें सरकार के परवरिश करना मकसूद हो,
या बड़ी-बड़ी पालीटीशंस व्ग, जिनकी पर-
वरिश करनी हो। वे लोग न काम करते
हैं और न देख-भाल करते हैं। बस सर-
कार की हां में हां मिलाते हैं। डी. डी. ए.
और गवर्नमेंट की दूसरी एजेन्सीज ने
कब्जा कर रखा है, लेकिन वे सरकार
को कोई रिपोर्ट नहीं देते हैं।

बनीं कमेट्री 1974 में मुकरर की गई
थी। 1976 में उसकी रिपोर्ट आ गई।
हिन्दुस्तान के तमाम मुसलमान चाहते हैं
कि उस रिपोर्ट को लागू किया जाए,
लेकिन सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं
जा रहा है। इन 1200 जायदादों की
कीमत एक कमेट्री ने 158 लाख रुपये
लगाई है, जबकि वे हैं करीब 500
करोड़ रुपये की। अगर ये जायदाद मुसल-
मानों को दे दी जाएं, तो सरकार को उन
की मदद करने की कोई जरूरत नहीं
रहेगी। उसकी तरफ से कहा जाता है
कि हम तुम्हारे मजहब की और सब चीजों
की हिफाजत करेंगे। कम से कम वह

[श्री ग़ुलाम मोहम्मद खां]

वक्फ की जायदादों को देने का छोटा सा काम कर दें, तो मुसलमान अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा और तालीम का कुछ इन्तजाम कर लेगा। आज दिल्ली भर में एक भी इन्टरमीडिएट मुस्लिम कालेज नहीं है, जिसमें कुछ भी तालीम दी जा सके। मैं देख कर आया हूँ कि वे टूटी-फूटी बिल्डिंग में चल रहे हैं। वे इस इन्तजार में हैं कि जब वक्फ की आमदनी आ जाएगी, तो हमारा कुछ हो जाएगा। बहुत दिन हो गए हैं इस इन्तजार में। बिल को सपोर्ट तो मजबूरन ही करना पड़ेगा। आप पास कर लेंगे, मेजोरिटी है ही। लेकिन माइनारिटी वाले जो अपोजीशन के लोग हैं वह भी बुरा नहीं कह रहे हैं, वह अच्छा ही कहते हैं कि आपकी गुडविल हो जाएगी अगर आपने कांफ्रीहेंसिव बिल ला कर पास कर दिया और एक्सटेंशन न दें। या एक्सटेंशन आप दे दीजिए, नेक्स्ट सेशन में पेश कर दीजिए। अगर पेश हो गया तो कारगुजारी आपकी लिखी जाएगी। हमें तो कुछ मिलना ही नहीं। वह कहेंगे कि तुम जनता पार्टी में कुछ नहीं कर पाए, कांग्रेस ने कर दिया। गुडविल आप लें लीजिए मुसलमानों की।

थोड़ी रोशनी और डाल दें। नार्दन इंडिया में, यू पी में, बिहार में स्टेट लीजिस्लेशन के जरिये चलाया जाता है और वह कुछ अच्छा भी चल रहा है। यहां तो चलने का तैयार ही नहीं है। मस्जिदों का जिक्र बहुत आ गया है। तीस चालीस मस्जिदें, बहुत से कब्रिस्तान और बहुत सी और दीनी चीजें मुसलमानों की जो हैं उन पर अभी पूरा-पूरा कब्जा है। उन का छुड़ाने के लिए बार-बार दरखास्त दी जाती है। जैसा कि बनी कमिटी की रिपोर्ट में आया है, सरकार ने जिन चीजों पर कब्जा कर लिया है और लंबे सड़क है या कुछ बाहर है और कुछ बिल्डिंगें जिन पर बन चुकी है वह सरकार अपने नाम लिखा ले, बाकी चीजें जो उसकी है वक्फ बोर्ड की वह उसे दे दे। फंड्स के लिए वक्फ बोर्ड तैयार नहीं है। भरोसा यहाँ आप से निवेदन है कि बनी

कमिटी को लागू कर दीजिएगा तो मुसलमानों की तमाम समस्याओं का हल हो जायेगा। इसी तरह का एक कांफ्रीहेंसिव बिल पास करके सब का काम चल जाएगा और वही चीज तमाम हिन्दुस्तान के और स्टेट्स में लागू कर दें। जैसे मिसाल के तौर पर केरल में है, वक्फ की जायदाद से एक यूनिवर्सिटी बन गई है, उस में बिला लिहाजे मिल्लत कोई भी स्टूडेंट दाखिला ले सकता है—हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो किसी पर कोई पाबन्दी नहीं है। अगर इसी तरह की बात कर दें कि यहां की जायदादों से कोई स्कूल बने और बिला लिहाजे मिल्लत हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, सब उस में दाखिला ले सकें तो बहुत बेहतर होगा। एं चैरिटेबल वक्फ है। इसमें यह पैसा लगेगा तो उसका फायदा अकेले मुसलमानों को न मिल कर सब को मिले तो उस से ज्यादा अच्छाइयां बढ़ जायेंगी, समाज की अच्छाइयां बढ़ जायेंगी।

एक और प्वाइंट है। यह जो वक्फ है यह मुस्लिम परसनल ला के तहत चलाया जाता है। मुस्लिम परसनल ला एक अलाहिदा चीज है। उस का अलाहिदा कानून है। शादी इस तरह से होगी, तलाक इस तरह से होगा, आलाद के हक इस तरह से पहुँचेंगे। इसी तरह से अगर यह चीज उस में एड कर दी जाय कि मुस्लिम परसनल ला के तहत यह चलाया जायगा और जो इन जायददों के स्कूल होंगे उसमें बिला लिहाजे मजहब और मिल्लत सब लोग दाखिला ले सकें, इससे सब लोग फायदा उठाएं तो इस से कांफ्रीहेंसिव भी पैदा होगी और हिन्दू मुस्लिम एकता बढ़ेगी। इस का बढ़ना भी हमारे यहां बहुत जरूरी है।

इसलिये एसा एक कांफ्रीहेंसिव बिल हो जिसमें तमाम हिन्दुस्तान के लिए गुंजाइश हो एक तरीका हो, अब वह क्या-क्या तरीका निकलेंगा वह आप ज्यादा अच्छा जानते हैं। बिहार, बंगाल, यू पी और काश्मीर में जो काम चल रहे हैं उन

से बहुत तसल्ली है लोगों को कि ये बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं और केरल में भी खास मिसालें कायम हुई हैं। यू पी का हाल दिल्ली जैसा ही है। कोई अच्छा नहीं है। वहां तो एम्कांचमेन्ट इतना बढ़ गया है कि कोई ठिकाना नहीं है। वहां तो यह हाल है कि हम जाते हैं और देखते हैं कि वक्फ बोर्ड की जायदाद पर कब्जा कर लिया, वक्फ बोर्ड के सेक्रेटरी को कुछ पैसे दे दिए और वह खामोश हो गया। वह भी इसी तवज्जह की मोहताज है जैसे दिल्ली है। यू पी में इस से ज्यादा ही कुछ होगा। कोई अच्छा काम मैं नहीं देख रहा हूँ।

मैं मुरादाबाद से आता हूँ जहाँ मुसलमानों की वक्फ की जायदाद लाखों नहीं कराड़ों रुपये की होगी। कोई इस्तेमाल उस का नहीं होता। उल्टे और खर्चा गवर्नमेंट पर पड़ जाता है। डीफिशियेंसी रहती है। दिल्ली में तो अपना-अपना खर्च बोर्ड चला भी लेते हैं लेकिन मुरादाबाद बाद में कमी रहती है। कलेक्टर साहब कहते हैं कि इसके लिए कुछ न कुछ इंतजाम ऊपर से करो। वक्फ भी वहां कुछ कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। लखनऊ में बहुत बड़ी जायदाद वक्फ की है, इलाहाबाद, कानपुर में मैंने देखा है, काफी जायदाद है। तो यही मेरी गुजारिश है कि एक काम्प्रीहेंसिव बिल ला कर हिन्दुस्तान के मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान आप करेंगे। गुडविल आप को मिलेगी, हमें तो कुछ मिलना नहीं है।

17.50 hrs.

STATEMENT RE: SALE OF TICKETS OF ASIAD TO MEMBERS OF PARLIAMENT

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI BUTA SINGH): Mr Deputy-Speaker, Sir, I am grateful to the hon. Members of both the Houses for showing keen interest in the Ninth Asian Games to be held from 19th November.

The question relating to the sale of ticket to the hon. MPs to enable them and their family members to witness the

Games, has been engaging the attention of the Organising Committee and the Parliamentary Forum of Sports. The hon. Chairman, Rajya Sabha, hon. Speaker and you, Sir, have been taking keen interest in the subject. You have been very kind to give me a patient hearing and you have listened to various problems connected with the issue.

Sir, only just now, in your Chamber a meeting was held with the Members of the Parliamentary Forum of Sports. It has been decided in that meeting that the plan for sale of tickets of ASIAD to the MPs will be finalised on tenth i.e. Tuesday. Thereafter, the tickets will be sold in a manner and on dates to be announced later.

As on today, no ticket will be sold on 9th August as announced earlier.

17.51 hrs.

PUBLIC WAKFS (EXTENSION OF LIMITATION) (DELHI AMENDMENT) BILL—Contd.

श्री कृष्ण वल्ल सुल्तानपुरी (शिमला) : उपलब्ध महादेय, मैं इस बिल का हृदय से समर्थन करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर भी वक्फ प्रापटी है, उसका सारा का सारा इन्तजाम पंजाब, हरियाणा के वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है। वहां के मुसलमानों की बहुत बुरी हालत है। जब आप दिल्ली में इस संबंध में समय मांग रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर भी आप एक अलहदा वक्फ बोर्ड बनायें, ताकि वहां की सारी की सारी प्रापटी को ठीक प्रकार से कन्ट्रोल किया जा सके। मुसलमानों की आबादी वहां पर भी अधिक है, मेरे नहान जिला है, शिमला में भी है, सोलन में भी है और बिलासपुर में भी - वहां के मुसलमानों के लिए न पढाई का इन्तजाम ठीक प्रकार है और न ही और कोई सुविधायें हैं। उद्द वहां की सैकेण्ड लैगवेज है। वहां इस प्रकार की जनता प्रापटी है, उस पर मोमडन न कब्जा कर रखा है और उससे जितनी कमाई होती है वे सब खा जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उससे आमदनी